उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

पृष्ठांकन कमांक B/7558/चार–12–14/10 जबलपुर, दिनांक 29/11/2021

(**प्रतिलिपिः**— प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा.क्रमांक 4167/21–ब(एक)/2021, दिनांक 15.11.2021 के साथ संलग्न उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग का पत्र क्र0 1259/2021/नियम/चार भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 2021 एवं क्र0 1879/1072/2021/नियम/चार/भोपाल दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 की छायाप्रति)

1. समस्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
2. समस्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय,
3. सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 574, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर
4. संचालक/अतिरिक्त संचालक, म.प्र. राज्य न्यायिक अकादमी, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर,
5. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म.प्र. खण्डपीठ, ग्वालियर/इन्दौर,
6. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी/असिस्टेंट रजिस्ट्रार(एम)(लेखा)/प्रशासनिक अधिकारी (बजट), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही अग्रेषित है।

27.11.2021

(अजय पवार)
रजिस्ट्रार(एम)

डेमन

(14)

उच्च न्यायालय म.प्र.
16 NOV 2021
जबलपुर

मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग,

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 15.11.2021

फा. कमांक 4167/21-ब(एक)/2021, राज्य शासन, इस विभाग के पूर्व आदेश कमांक 2120/21-ब(एक)/2020 भोपाल, दिनांक 31.07.2020 के अनुकम में जिसके अन्तर्गत न्यायिक सेवा के अधिकारियों को प्रदाय की जाने वाली वेतनवृद्धि काल्पनिक रूप से देय होने तथा स्थितियॉ सामान्य होने पर उसके वास्तविक वित्तीय लाभ प्रदान करने के संबंध में पृथक से आदेश जारी किया जाना स्पष्ट किया गया था, उक्त आदेश की निरंतरता में न्यायिक सेवा के अधिकारियों को वेतनवृद्धि का लाभ मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के आदेश कमांक 1259/2021/नियम/चार भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 2021 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार दिए जाने तथा जुलाई 2020/जनवरी, 2021 की स्थगित विभिन्न माहों में देय वार्षिक वेतनवृद्धि के वास्तविक वित्तीय लाभ का भुगतान मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के आदेश कमांक 1879/1072/2021/नियम/चार भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 अनुसार किए जाने के आदेश प्रदान करता है।

संलग्न-वित्त विभाग के आदेशों की प्रतियॉ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(गोपाल श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग

फा.कमांक 4167/21-ब(एक)/2021 भोपाल, दिनांक 15.11/2021

प्रतिलिपि,

(1) रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

15.11.2021

(प्रशांत कुमार)
अतिरिक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग

16 NOV 2021
Registrar General
High Court of M.P.
Jabalpur

Reg. (A)

A.O. (Pensions)

4167/21/वि.स्था.
10-11-2021

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

क्रमांक 1259/2021/नियम/चार भोपाल, दिनांक 26 जुलाई,2021

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,

अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,

समस्त संभागीय आयुक्त,

समस्त विभागाध्यक्ष,

समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश ।

विषय :- शासकीय सेवकों की 1 जुलाई, 2021 एवं 1 जनवरी, 2022 को देय वार्षिक वेतनवृद्धि के संबंध में स्पष्टीकरण।

संदर्भ :- वित्त विभाग के परिपत्र क. 898/2020/नियम/चार दि. 29-7-2020 यथा संशोधित दिनांक 30.07.2020

संदर्भित परिपत्र में शासकीय सेवकों की दिनांक 01 जुलाई, 2020 एवं 01 जनवरी, 2021 को देय वार्षिक वेतनवृद्धि काल्पनिक रूप से दिये जाने के निर्देश हैं।

2/ जुलाई 2021 एवं जनवरी 2022 को देय वार्षिक वेतन वृद्धि के संबंध में कतिपय विभागों द्वारा वित्त विभाग से मार्गदर्शन की अपेक्षा की गई है। वार्षिक वेतनवृद्धि जुलाई/जनवरी माह में देय होती हैं । राज्य शासन द्वारा मूलभूत नियम-24 के अन्तर्गत उक्त वेतन वृद्धियों को स्थगित करने /रोकने के आदेश जारी नहीं किये गये हैं. अतः शासकीय सेवकों को इन वार्षिक वेतनवृद्धियों का पात्रतानुसार भुगतान किया जाना है।

3/ माह जुलाई 2021/ जनवरी 2022 की वार्षिक वेतनवृद्धि को निम्नानुसार प्रदाय किया जाये ।
उदाहरणार्थ :-

1. शासकीय सेवक का वेतनमान - लेवल -12 (56100-177500)
2. जून 2020 में मूल वेतन - ₹. 69,000
3. 01 जुलाई 2020 में काल्पनिक वार्षिक वेतनवृद्धि - ₹. 71,100 (जिसका वास्तविक भुगतान नहीं हुआ)
4. 01 जुलाई 2021 को देय वार्षिक वेतन वृद्धि- ₹. 73,200 (जुलाई 2020 की काल्पनिक वेतनवृद्धि सम्मिलित करते हुये)

जिन शासकीय सेवकों की वार्षिक वेतनवृद्धि जनवरी 2022 में देय होगी उनके संबंध में भी गणना उपरोक्तानुसार की जाये ।

4/ जुलाई, 2020 / जनवरी, 2021 की वेतनवृद्धि के वित्तीय लाभ/एरियर्स की राशि के संबंध में पृथक से निर्णय प्रसारित किया जायेगा ।

5/ राज्य शासन के अधीन समस्त उपक्रम/निगम/मण्डल/ स्थानीय निकाय/विकास प्राधिकरण/ आयोग/विश्वविद्यालय आदि के कार्मियों को भी जुलाई 2020 / जनवरी 2021 की वार्षिक वेतनवृद्धि तत्समय देय नहीं रही थी। अतः इस संबंध में निर्देश संबंधित प्रशासकीय विभागों द्वारा जारी किये जायेंगे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अखिल कुमार वर्मा)
उप सचिव

पृ. क्रमांक 1260 /2021/नियम/चार भोपाल, दिनांक 26 जुलाई,2021

प्रतिलिपिः-

(1) राज्यपाल, मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल

(2) प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल

(3) मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल

(4) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल

(5) सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल

(6) निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

(7) सचिव,लोक सेवा आयोग, इन्दौर

(8) सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल

(9) निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री मध्यप्रदेश राज्य शासन भोपाल

(10) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल

(11) सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल

(12) महाधिवक्ता / अतिरिक्त महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर

(13) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल

(14) अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

(15) आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल

(16) आयुक्त, जनसंपर्क, संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

(17) समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश

(18) समस्त प्राचार्य, लेखा परीक्षण शाला, मध्यप्रदेश।

(19) संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल ।

(20) अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघ

(21) समस्त कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश

(22) गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित।

26/07/2021

(विवेक कुमार धारू)
अवर सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक 1879 /1072/2021/नियम/चार/भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर,2021

प्रति

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश

विषय:- शासकीय सेवकों को जुलाई 2020/ जनवरी 2021 की स्थगित वार्षिक वेतनवृद्धि का भुगतान।

संदर्भ:-(i) वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 898/2020/ नियम/चार दिनांक 29.07.2020

(ii) वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 1259/2021/ नियम/चार दिनांक 26.07.2021

---00---

संदर्भित आदेश क्रमांक (i) में दिनांक 01 जुलाई 2020 एवं 01 जनवरी 2021 को देय वार्षिक वेतनवृद्धि काल्पनिक रूप से स्वीकृत करते हुये वास्तविक वित्तीय लाभ के लिये पृथक से आदेश जारी करने का लेख था। संदर्भित आदेश क्रमांक (ii) के द्वारा जुलाई 2020 / जनवरी 2021 की काल्पनिक वेतनवृद्धि को वास्तविक रूप से जुलाई 2021 अथवा जनवरी 2022 की वेतनवृद्धि के साथ स्वीकृत किये जाने के निर्देश जारी किये जा चुके है।

2/ राज्य शासन द्वारा अब निर्णय लिया गया है कि समस्त शासकीय सेवकों जिन्हें जुलाई 2020 अथवा जनवरी 2021 की वार्षिक वेतनवृद्धि काल्पनिक रूप से पात्रता है, को जुलाई 2020 एवं जनवरी 2021 को देय वार्षिक वेतनवृद्धि के परिणाम स्वरूप देय एरियर्स का भुगतान दो बराबर (50%+50%) किश्तों में निम्नानुसार किया जाये :-

(i). प्रथम किश्त का भुगतान माह नवम्बर 2021 में

(ii). द्वितीय किश्त का भुगतान माह मार्च 2022 में

3/ दिनांक 1 मार्च 2022 के पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके अथवा होने जा रहें शासकीय सेवकों को एरियर्स की देय राशि का भुगतान एकमुश्त किया जाये।

4/ राज्य शासन के अधीन समस्त उपक्रम/निगम/मण्डल/ स्थानीय निकाय/विकास प्राधिकरण/ आयोग/विश्वविद्यालय/ संस्थाओं आदि के कर्मचारियों तथा स्थायीकर्मी एवं संविदा पर नियोजित सेवायुक्तों, जिन्हें वेतनवृद्धि दी जाती है, के संबंध में आदेश दिनांक 30.07.2020 से समुचित निर्देश जारी करने हेतु लेख किया गया था। वर्णित श्रेणियों के लिये उपर्युक्त पैरा 2 एवं 3 अनुसार संबंधित प्रशासकीय विभाग समुचित निर्देश जारी कर सकेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पी.के.श्रीवास्तव)
उप सचिव
म.प्र. शासन, वित्त विभाग

निरंतर...2

पृष्ठा. क्रमांक 1880/1072/2021/नियम/चार/भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर,2021

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल, मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
3. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल
5. सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
6. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
7. सचिव,लोक सेवा आयोग, इन्दौर
8. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री मध्यप्रदेश राज्य शासन भोपाल
10. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
11. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
12. महाधिवक्ता / अतिरिक्त महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर
13. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल
14. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल
15. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल
16. आयुक्त, जनसंपर्क, संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
18. समस्त प्राचार्य, लेखा परीक्षण शाला, मध्यप्रदेश।
19. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल ।
20. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघ
21. समस्त कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश
22. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

22/10/2021

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग